पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 CPC पर बहस की। बहस सुनी गई। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली कार्यालय दिनांक 16/5/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज किया जाता है। फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व रजि. नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (...

वाद पत्र संख्या :— ... जयपुर ग्रामीण
:— श्री अशोक कुमार, आर ए एस
95/2019

उनवान

1. रमेशचन्द यादव पुत्र दयालराम यादव, जाति अहीर, उम्र 39 वर्ष, निवासी लोचू का बास, तह0 शाहपुरा।

— वादी

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र श्री जोधा, जाति अहीर (दौराने वाद फौत)
1/1 कोयली पत्नी कैलाश, उम्र 50 वर्ष
1/2 रितु पुत्री कैलाश, उम्र 18 वर्ष
1/3 ताराचन्द पुत्र कैलाश उम्र 24 वर्ष
समस्त जाति अहीर, निवासी लोचू का बास तह0 शाहपुरा, जयपुर।
1/4 वसुन्धरा पत्नी विजय उम्र 22 वर्ष पुत्री कैलाश
1/5 सीमा पत्नी जितेन्द्र उम्र 20 वर्ष पुत्री कैलाश
समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी ढेहर की, वार्ड नं0 14, खोरी जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।
3. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय—मनोहरपुर तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।

— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रविशंकर अग्रवाल प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री राकेश मोहन शर्मा वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :— 16/05/2024

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश— 7 नियम —11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इकरारनामा दिनांक 26.03.2016 के आधार पर हाल आ0ख0नं0 3847/1 के हिस्सा 172/205 व हाल खसरा नंबर 3848/1 रकबा 0.26 है0 में से 0.09 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अनुतोष बाबत् प्रस्तुत किया है। यह कि तथाकथित इकरारनामा दिनांक 26.03.2016 अनरजिस्टर्ड है व प्रोपरस्टाम्फ पर नहीं है। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रदत किये जाने वाले प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आने व इकरारनामा के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने से वादी का वाद पत्र संबंधित कानूनी प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने से खारिज योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। वादी द्वारा उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने के पश्चात तथाकथित इकरारनामा के आधार पर प्रश्नगत आराजी के संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा के यहा वाद विर्निदिष्ट अनुपालना व स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना—पत्र दिनांक 25.04.2019 को प्रस्तुत कर दिया जो विचाराधीन है। इसलिये भी वादीद्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना — पत्र प्रस्तुत कर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

निवेदन है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील अप्रार्थी/वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर जाहिर किया कि जिमन नंबर 1 प्रार्थना–पत्र में वादी द्वारा वाद पत्र में इकरारनामा दिनांक 26.03.2016 के आधार पर हाल आ0ख0नं0 3847/1 के हिस्सा 172/205 व हाल खसरा नंबर 3848/1 रकबा 0.26 है0 में से 0.09 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अनुतोष बाबत् प्रस्तुत किया जाना सही है, स्वीकार है। जिमन नंबर 2 प्रार्थना–पत्र जिस प्रकार जाहिर किया गया है गलत है, अस्वीकार है। वादी ने अपना उनवानी वाद पत्र सभी कानूनी प्रावधानों की पूर्ति करते हुये श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रथमतः यह कि वादी ने वर्णित आराजी इकरारनामा दिनांक 26.03.2016 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल अदाकर एवं अन्य इकरारनामें की शर्तो को पूरा कर खरीदी थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वैध अन्तरण की परिभाषा में आता है। जहां तक इकरारनामें के उपयुक्त रूप से स्टाम्पित एवं अनरजिस्टर्ड होने का प्रश्न है, कानून का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि विर्निदिष्ट अनुपालना हेतु इकरारनामें का प्रोपर स्टाम्पित एवं रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। यह सही है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा में इसी इकरारनामा दिनांक 26.03.2016 के आधार पर एक वाद पत्र प्रश्नगत आराजी के विषय में विचाराधीन है किन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि वह वाद पत्र इकरारनामें के विनिर्दिष्ट अनुपालना के अनुतोष को लेकर प्रस्तुत किया है एवं श्रीमान एसीएम न्यायालय के समक्ष वाद पत्र आराजी की घोषणा को लेकर है। दोनो वाद पत्र में वादी ने अलग–अलग अनुतोष न्यायालय से मांगा है एवं दोनों वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी अलग–अलग न्यायालय को प्राप्त है। जहां श्रीमान् एसीएम न्यायालय शाहपुरा को आराजी इस्तकरारहक (घोषणा) की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, वही श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा को इकरारनामें की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु चाहे गये अनुतोष की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। वादी का प्रस्तुत वाद पत्र किसी भी प्रकार से खारिज किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित दोनों वादपत्रों में कही भी अनुतोषो में समानता नहीं है एवं वादी ने सभी प्रकार के प्रश्नों के कानूनी प्रावधानों को पूरा करते हुये सही व समुचित वाद कारणों पर यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह वाद पत्र मात्र वादी को हैरान परेशान करने व वादपत्र में देरीना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जो खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 02.08.2019 को अधिवक्ता उपस्थित आ गये थे किन्तु आज दिनांक तक जवाब वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः श्रीमान् के समक्ष जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र को मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया । वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज करने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

सहायक कलक्टर

(क). जहाँ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहाँ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहाँ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहाँ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।

(च). जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु (घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है। अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि उक्त प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा के यहां विर्निदिष्ट अनुपालना व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है, उक्त तथ्य को वकील अप्रार्थी/वादी ने भी स्वीकारा है। उक्त प्रश्नगत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इकरारनामा के आधार पर पेश किया गया है। चूंकि इकरारनामे के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है एवं इकरारनामें से संबंधित वाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में न होकर सिविल न्यायालय को है। अतः प्रस्तुत वाद पत्र इकरारनामे के आधार पर होने से एवं प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा जिला जयपुर के यहां विचाराधीन होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधी द्वारा वर्जित है। इस प्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत दावा चलने योग्य नहीं है अपितु विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/05/2024 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राजस्थान सरकार

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक
शाहपुरा, जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 6

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 95/2019

उनवान

1. रमेशचन्द यादव पुत्र दयालराम यादव, जाति अहीर, उम्र 39 वर्ष, निवासी लोचू का बास, तह0 शाहपुरा।

बनाम

– वादी

1. कैलाश चन्द पुत्र श्री जोधा, जाति अहीर (दौराने वाद फौत)
   1/1 कोयली पत्नी कैलाश, उम्र 50 वर्ष
   1/2 रितु पुत्री कैलाश, उम्र 18 वर्ष
   1/3 ताराचन्द पुत्र कैलाश उम्र 24 वर्ष
   समस्त जाति अहीर, निवासी लोचू का बास तह0 शाहपुरा, जयपुर।
   1/4 वसुन्धरा पत्नी विजय उम्र 22 वर्ष पुत्री कैलाश
   1/5 सीमा पत्नी जितेन्द्र उम्र 20 वर्ष पुत्री कैलाश
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी ढेहर की, वार्ड नं0 14, खोरी जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।
3. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।

– प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रविशंकर अग्रवाल प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री राकेश मोहन शर्मा वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 16/05/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

आज तारीख ....16/05/2024.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	